श्री मुरारी प्रसाद गौतम, माननीय स॰वि॰स॰ से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-18/2 /623 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	
(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के चेनारी विधानसमा क्षेत्र अंतर्गत दुर्गावती जलाशय परियोजना की उर्दा वितरणी नहर में आज तक पानी नहीं पहुंचाया गया है, जिसके कारण जराबी, बैरिया सहित दर्जनों गांव सिंचाई सुविधा से वंचित हैं;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि:- • रोहतास जिला अंतर्गत दुर्गावती दायाँ मुख्य नहर के 6.67 कि० मी० से उर्दा वितरणी निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 6.76 कि० मी० एवं रूपंकित जलश्राव 40.73 क्यूसेक है । • खरीफ अवधि 2025 में उर्दा वितरणी में किसानों के माँग के अनुरूप अंतिम छोर तक जलश्राव उपलब्ध कराते हुए उगहनी, पचैरा, जराढ़ी, गंगापुर, तुरकी, उर्दा, सदोखर, उसरा, लौरपिटाई एवं नन्दुसियारा आदि गाँवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। जरावी एवं बैरिया गाँव का खेतों का स्तर ऊंचा रहने के कारण नहर से सिचाई हेतु पानी दिया जाना संभव नहीं है ।
(2) क्या यह बात सही है कि लांजी उप वितरणी के नहर का निर्माण सही ढंग से नहीं किए जाने के कारण उसमें पानी प्रवाहित नहीं हो पाता है, जिससे उससे जुड़े ग्राम लोहरा, तेतरी सहित दर्जनों गांवों के किसान सिंचाई लाभ से वंचित हैं;	• चेनारी वितरणी के 3.47 कि० मी० से लांझी उपवितरणी निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 6.30 कि० मी० एवं रूपंकित जलश्राव 45.18 क्यूसेक है । • खरीफ अवधि 2025 में लांझी उपवितरणी में किसानों के माँग के अनुरूप अंतिम छोर तक जलश्राव उपलब्ध कराते हुए सिंघपुर, करेछ, लोहरा, तेतरी, डोईयां, गणेशपुर, पेवंदी, बनौली आदि गाँवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।
(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उर्दा वितरणी एवं लांजी उप वितरणी नहर को दुरुस्त कर नियमित रूप से पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती हैं, नहीं तो क्यों ?	• आगामी खरीफ सिंचाई से पूर्व प्रश्नगत नहरों में आवश्यकतानुसार संपोषण एवं मरम्मती कार्य कराकर अंतिम छोर तक जलश्राव प्रवाहित कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पटना / दिनांक :.......................

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–02–03 / 2026

प्रतिलिपिः– उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को तारांकित प्रश्न सं0–18 / 2 / 623 का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

पटना / दिनांक :.......................

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–02–03 / 2026

प्रतिलिपिः– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

पटना / दिनांक :.......................

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–02–03 / 2026

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0 अंचल–03, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–02–03 / 2026 1572 पटना / दिनांक : 19/3/26

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/26

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव